दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद

पत्रांक संख्याः लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2016 / 713 दिनांक : 26.2 .2016

प्रेषक,

कुलसचिव,
डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान,
खरहर, सिपाहमहेरी, प्रतापगढ़।

विषयः—स्ववित्त पोषित योजना के **अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय** में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपयुर्क्त विषयक अपने पत्र दिनांक 17.12..2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई, 2000, 31 दिसम्बर, 2010, 25 नवम्बर, 2013 एवं दिनांक 15 जुलाई, 2015 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण—पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत / अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र सं	नाम	पिता / पति का नाम	जन्म तिथि	शै0 योग्यता	विषय
1	श्री मनीष कुमार मिश्र	श्री बैजनाथ मिश्र	23.01.1989	एम0पी0एड0	बी0एड0 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा
2	दीपिका कुशवाहा	श्री प्रकाश बाबू कुशवाहा	03.08.1986	एम0ए0 पेटिंग	बी0एड0 ललित कला
3	श्री विजय कुमार पाण्डेय	श्री त्रिभुवन नाथ पाण्डेय	01.01.1986	एम0ए0 संगीत	बी0एड0 निष्पादन कला

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्ता के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं का अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है, तो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,

उप कुलसचिव